



माही की गृज

प्रेणा स्रोत
स्व. श्री यशवंती घोड़ावत

Www.mahikunj.in, Email-mahikunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 50

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 15 सितम्बर 2022

पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी दिवस पर दी बधाई हिंदी को लेकर फैलाई जा रही अफवाह- अमित शाह

नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, हिंदी भाषा प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि देश की अन्य सभी भाषाओं के 'सित्र' है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बोलते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि देश की लगातार गृह अक्षरालय फैला रहा है कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और तमिल, हिंदी और राजस्थानी भाषाओं की प्रतिस्पर्धी हैं। हिन्दी देश की किसी अन्य भाषा की प्रतियोगी नहीं है। सकती। आपको यह समझना चाहिए कि हिंदी देश की ऐसी भाषाओं की मित्र है। शह की वह टिप्पणी ऐसी है कि केंद्र देश की सभी भाषाओं के मित्र है। शह की वह टिप्पणी ऐसी है कि अहं इस समय में अहं है कि केंद्र देश के गैर-हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोने की कोशिश कर रहा है। शह ने कहा कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में उपरे देश को एकत्र के सूखे में बांटती है।

प्रधानमंत्री ने दो मोदी ने ही इस अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि, हिंदी की साथी, सरलता, सहजता और स्वेदनशीलता को लोगों को आकर्षित करती है।

लोगों को आकर्षित करती है। पीएम मोदी ने एक टीवी में कहा, हिंदी ने दुनिया भर में भाषा के लिए विशेष सम्मान लाया है। इसकी सादगी, सहजता और स्वेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर, मैं उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं जिहोने इसे समझूँ और सहजता में अधक योगदान दिया है।

शह ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने दो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के समानांतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाषाओं के सह-अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। साथ ही जब देशिक विद्यका करने के आवश्यकता है। अमित शाह ने कहा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ लोग यह



अन्य भाषाओं की मित्र हिंदी

अमित शाह ने कहा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ लोग यह

स्वामी को जल्द खाली करना होगा सरकारी घर



नई दिल्ली। भाजपा नेता सुभ्रमण्यन स्वामी को लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया था। स्वामी को यह आवास 2016 में सुरक्षा के खतरे के दृष्टिकोण से अधिकारी अधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि, वह उन लोगों को आवास देने के लिए उत्तराधीन नहीं है, जिनके सिक्खीयों की कठोरता है।

सुभ्रमण्यन स्वामी को 15 जनवरी 2016 को सरकारी आवास अवार्टित किया गया था। इसके 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई थी और उसके बाद स्वामी ने इसके टाइम को बढ़ावा दी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि, वह अब आवास मुहूर्त होनी कराएगी।

होम प्रिन्सिपली की ओर से पेश अंडिशनल सॉलिसिटर जनरल संस्कृत जैन ने अदालत को बताया कि, सरकार आवास का टाइम नहीं बढ़ावा दिया है। स्वामी को यह अवधि समाप्त होने के बाद भी उसमें रहे थे, लेकिन अब सरकार टाइम बढ़ावा के मूड में नहीं हैं। जैन ने बताया कि सरकारी घर के अवंतन की सीमा समाप्त होने के बाद भी उसमें रहे हैं, लेकिन अपने अपने चोरों के साथ। इसके बाद भी उसके बिलाफ को इकेशन वर्ड लिया गया था। इकें बाद भी उसके बिलाफ को इकेशन वर्ड में लंबित थी। उन्होंने कहा कि, केंद्रीय परियों और दिव्यांशु हाई कोर्ट के जेंडर को आवास की जरूरत है। इस पर अदालत में आदेश दिया गया कि सुभ्रमण्यन स्वामी को अगले 6 सप्ताह के अंदर आवास को खाली करना होगा।

अंदरूनी कलह से जूझ रही टीएमसी- रविशंकर प्रसाद



नई दिल्ली।

भाजपा ने बंगल में अपने प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर पुरुषियां अत्याचार करने का आरोप लिया है। सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, जी भी नेता इस तरह से विषय को कुचलने का प्रयास करते हैं और उन्हें जेल में डालते हैं,

जिताता उनसे हिंसा लेती है। आपकी पूर्व पार्टी ने देश ईंटांगी की अपातकाल लगाया था और उसका अंजाम भुगता रहा है। यह अब उनके निजामून ईंटर्सिटी स्थित आवास पर दी जाएगी।

होम प्रिन्सिपली की ओर से पेश अंडिशनल सॉलिसिटर जैन ने बताया कि सरकारी घर के अवंतन की सीमा समाप्त होने के बाद भी उसमें रहे हैं, लेकिन आपको यह टीएमसी के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद भी उसके बिलाफ को इकेशन वर्ड में लंबित थी। उन्होंने कहा कि, क्या यह टीएमसी की आवाज गुरुग्रामी की बड़ी गुरुग्रामी के चलते ऐसा हो रहा है। शायद टीएमसी से ध्यान टूटने के लिए प्रविष्ट कर पुरुषिया स्थानीय स्वामी को आवास की जरूरत है। इस पर अदालत में आदेश दिया गया कि सुभ्रमण्यन स्वामी को अगले 6 सप्ताह के अंदर आवास को खाली करना होगा।

रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदर्शन के दौरान ममताबनर्जीओं को भी पीटा गया है। उन्होंने कहा कि हाराए एक हजार कार्यकर्ता वायरल हैं और 400 को अस्पताल में करोड़ के बीच रोकने की आपातकाल कर रहा है तो कठुंब समझ में आता है।

करेगी, वह उत्तरा ही आगे बढ़ेगी। मैं जेंपी मूमें का एक सियाही रहा हूं। उस दौरान गम्भीर था। तब जेंपी को रोकने के लिए इंदिरा ने बहुत सी कोशिश की थी, लेकिन उसका कावाल को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा कि बांगल में लोप्ट और कांग्रेस तो साफ हो गई, लेकिन भाजपा 77 तक पहुंच गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, मैं सुर्खेत अधिकारी, राहुल सिंह, दिलीप धोपे समें सभी नेताओं का समान रहा हूं। इंदिरा ने इस अत्याचार के आगे हिंस्त दिखाई।

हावड़ा ब्रिज पर रोका गया ट्रैफिक

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, हावड़ा ब्रिज की भी रोक लिया गया। इंतहास में ऐसा कभी नहीं आए था।

करेगी, वह उत्तरा ही आगे बढ़ेगी। मैं जेंपी

बेबाकी के साथ...सुधा

सरकार आरक्षण के हिसाब से कर सकती है भर्ता- हाई कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी अरक्षण मामले में अहम टिप्पणी करते हुए सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि, आखिर सरकार को ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत अरक्षण देने से किसने रोका हुआ है। कोर्ट ने सरकार को कहा कि आखिर 27 प्रतिशत ओबीसी अरक्षण के द्वारा सभी वर्गों नहीं कर रही है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आरक्षण के द्वारा सभी वर्गों का लागू कर भर्तीयों का सकता है।

दरअसल, डबल बेंच ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं के पेर बुक का अध्ययन किया। जिसमें पाया कि यह मामल 2014 से ही सुप्रीम कोर्ट में बाईकोर्ट द्वारा नियोजित है। इसलिए सरकार को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती।

जिसके बाद न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसमें कोर्ट ने पाया कि, न्यायालय वर्षों पर नियुक्ति के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसमें कोर्ट ने पाया कि, न्यायालय वर्षों पर नियुक्ति के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को लेकर राज्य सरकार जल्द से जल्द नियमान्वयन करवाएं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि हिंदी देश की सभी भाषाओं की आवश्यकता है। अपवाह फैला रहे हैं कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी प्रतिस्पर्धी हैं। हिंदी देश की किसी अन्य भाषा की प्रतियोगी नहीं हो सकती। आपको यह समझना चाहिए कि हिंदी देश की सभी भाषाओं की आवश्यकता है। अपवाह फैला रहे हैं कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी प्रतिस्पर्धी हैं। हिंदी देश की किसी अन्य भाषा की प्रतियोगी नहीं हो सकती।

हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम समस्त आदेशों को मोबाइफोन

किया गया। जिसमें कोर्ट ने पाया कि, न्यायालय वर्षों पर नियुक्ति के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को लेकर राज्य सरकार जल्द से जल्द नियमान्वयन करवाएं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि हिंदी देश की सभी भाषाओं की आवश्यकता है। अपवाह फैला रहे हैं कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी प्रतिस्पर्धी हैं। हिंदी देश की किसी अन्य भाषा की प्रतियोगी नहीं हो सकती।

जानवारी शुरू गयी मामले के लिए एक कोर्ट के फैसले पर आदेश का अवलोकन किया गया। जानवारी शुरू गयी मामले के लिए एक कोर्ट के फैसले पर आदेश का अवलोकन किया गय

